सं0–५५७/उन्तीस(2)/06–2(60पे0)/2003

प्रेषक,

नवीन सिंह तड़ागी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः २९ मार्च , 2007

विषयः शासनादेश संख्या 388/उन्तीस(2)/05–2(60पे0)/2003, दिनांक 23 मार्च, 2007 के संलग्नक बी0एम0–15 का संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 388/उन्तीस (2)/05–2 (60पे0)/2003, दिनांक 23.03.2007 के क्रम में आपके पत्रांक 804/लेखा कोषागार/ दिनांक 29.03.07 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 23.03.07 के संलग्नक बी0एम0–15 को निरस्त करके अब उसके साथ संलग्न उक्त बी0एम0–15 को संशोधित कर उसके स्थान पर इस शासनादेश के साथ संशोधित संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार पढ़ा जाय।

2– उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 23 मार्च, 2007 के केवल बी0एम0–15 को केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसके शेष सभी प्राविधान यथावत् रहेगें।

3– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0– 2323/XXVII(2)/2007 दिनांक 29 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्न–यथोक्त

भवदीय,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

पृ0सं0५५७/उन्तीस(2)/05–2(60पे0)/2003तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून/चमोली
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

क्रमशः..2

5. मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड जल संस्थान।
6 वित्त अनुभाग–2/वित्त(बजट सैल)/नियोजन अनुभाग/राज्य योजना आयोग उत्तरांचल।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
8. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट अनुभाग।
10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

नियन्त्रक अधिकारी- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम
प्रशासनिक विभाग - पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

आयोजनागत

(रु0 हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मद्वार अध्यावधिक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2215-जलपूर्ति तथा सफाई 01-जलपूर्ति-आयोजनागत 101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना 01-नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण (के0स0) - 60				2215-जलपूर्ति तथा सफाई 01-जलपूर्ति-आयोजनागत 101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम 05- नगरीय पेयजल ~~सम्य सेक्टर~~ 01-नगरीय पेयजल तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता			(क) केन्द्र से धनराशि प्राप्त न होने के कारण। (ख)मद में समुचित धनराशि प्राविधानित न होने के कारण।
20-सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता 79493	-	-	79493(क)	30000(ख)	145600	49493	
योग- 79493	-	-	79493	30000	145600	49493	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-2
संख्या-232(क) XXVII-(2) /2007
देहरादून : दिनांक 29 मार्च 2007

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव वित्त 29/3

सेवा में

महालेखाकार,
उत्तरांचल, देहरादून ।

संख्या 447(क)/उन्तीस/06-2-(60पे0)/2003, तद दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1-कोषाधिकारी,देहरादून । 2. वित्त अनुभाग-2
3-जिलाधिकारी,देहरादून ।

आज्ञा से

(नवीन सिंह तड़ागी)
उप सचिव